संख्या– /VII-A-1/2022–08 (05)/2019

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 23 जून, 2022

विषयः– अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में अधिरोपित जुर्माने की धनराशि को वसूले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के दिनांक 31.03.2022 तक अधिरोपित जुर्माने के ऐसे प्रकरण, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय आदि से कोई स्थगन आदि प्राप्त हो, को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जुर्माने की एकमुश्त वसूली तत्काल सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला खान अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालय के स्थगनादेश को खारिज कराये जाने के सम्बन्ध में भी साथ–साथ प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके उपरान्त भी जनपद स्तर पर जुर्माने की राशि की वसूली अपेक्षित रूप से न हो पाने के कारण राजस्व की हानि हो रही है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर यह भी निर्णय लिया गया था कि अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में अधिरोपित जुर्माने के बड़े मामलों, जिनमें एकमुश्त वसूली व्यवहारिक रूप से सम्भव न हो, में अपरिहार्य स्थिति के अन्तर्गत जुर्माने की धनराशि को 50–50 प्रतिशत के रूप में वसूले जाने की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने–अपने जनपदों से सम्बन्धित अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के दिनांक 31.03.2022 तक अधिरोपित जुर्माने के लम्बित ऐसे सभी प्रकरणों में अधिरोपित जुर्माने की वसूली कराये जाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करें तथा जुर्माने की वसूली सम्बन्धी कृत कार्यवाही से शासन को भी साप्ताहिक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

पृ0संख्या–823/VII-A-1/2022–08 (05)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि अपने–अपने जनपद से सम्बन्धित अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण में अधिरोपित जुर्माने की धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से सम्पर्क व सामंजस्य स्थापित करते हुये शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner